।। ओ३म् ।।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(ग्रैड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

दिनांक 09.11.2024

सेवा में,

संकायाध्यक्ष / समन्वयक / प्रभारी
कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून, प्रभारी, प्राच्यविद्या / मानविकी / विज्ञान / जीव– विज्ञान / अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी / प्रबन्ध अध्ययन / आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य / योग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग।

महोदया / महोदय,

कृपया अपने संकाय / परिसर में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी सामान्य जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को सत्र 2024–25 के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को सूचित करने का कष्ट करें। **संकायाध्यक्ष तथा समन्वयक इस विषय का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी दशा में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग** के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संकाय / परिसर स्तर पर स्वीकार न करें। छात्रवृत्ति आवेदन हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी अन्य जानकारी व आवेदन करने की अन्तिम तिथि में परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी के लिए www.scholarship.up.nic.in का अवलोकन करें।

समन्वयक / संकायाध्यक्ष / प्रभारी से अनुरोध किया जाता है कि विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को अपने संकाय से तीन कार्य दिवसों के अन्दर एस.सी.–एस.टी. सैल में भिजवाने का कष्ट करें। जिससे विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को निश्चित समयावधि में ऑनलाइन अग्रसारित किया जा सके।

ऑनलाइन आवेदन पत्र को संकायाध्यक्ष कार्यालय से अग्रसारित करने के उपरान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाइन अग्रसारित करने हेतु केवल आवेदन–पत्र की एक प्रति को छात्र / छात्रा द्वारा स्वयं प्रकोष्ठ में जमा कराना होगा ताकि यदि आवेदन–पत्र में कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार किया जा सके।

आवेदन करने की अतिंम तिथि :–समान्य वर्ग हेतु– 31.12.2024

एस.सी. / एस.टी. वर्ग हेतु– 31.03.2025

अधिकतम आय सीमाः –

सामान्य वर्ग– 200000 / –

एस.सी. / एस.टी.–250000 / –

(हस्ताक्षर) 8/xi/24

नोडल अधिकारी
(छात्रवृत्ति)

प्रतिलिपिः–

1. कुलसचिव कार्यालय (सूचनार्थ)
2. कुलपति कार्यालय (सूचनार्थ)
3. सम्पर्क अधिकारी (SC-ST CELL)
4. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर।

।। ओ३म् ।।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(ग्रैड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula kangri (Deemed to be University) Haridwar

(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवश्यक प्रपत्र

1. माता–पिता / अभिभावक का वैध आय प्रमाण पत्र तथा निर्गत प्रमाण पत्र ।
2. जाति प्रमाण पत्र (राज्य सरकार द्वारा निर्गत) तथा निर्गत प्रमाण पत्र।
3. निवास प्रमाण पत्र तथा निर्गत प्रमाण पत्र।
4. समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा यदि अंतिम सेमेस्टर के परिणाम की मूल अंकपत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो ऑनलाइन अंकपत्र की छायाप्रति मूल्यांकन विभाग द्वारा प्रमाणित होनी चाहिये।
5. बोनाफाइड (एक प्रति विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली तथा दूसरी प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर उसे सत्यापित कराने के उपरान्त अपलोड करना होगा)।
6. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की छायाप्रति (खाता सिंगल एकाउंट ही होना चाहिए तथा उसमें एन.पी. सी.आई—National Payment Corporation of India) / डी.बी.टी. एक्टिव होना चाहिये।
7. शपथ–पत्र (समक्ष संकयाध्यक्ष)।
8. यदि वर्तमान कक्षा तथा पिछली कक्षा की पढ़ाई में गैप रहा है तो उससे संबन्धित शपथ–पत्र (समक्ष संकयाध्यक्ष)।
9. अन्य संलग्नक पूर्व की भांति ही रहेंगे।

Sd/- 09/XI/24

नोड़ल अधिकारी

(छात्रवृत्ति)